

1 इंस
तामील
द्वार

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 187/2021

निर्णय दिनांक :- 12-11-21

उनवानी

1. वृजलाल पुत्र चन्द्रप्रभु जाट, लालाभाड़ी
2. बलवीर पुत्र अमीलाल जाट, लालाभाड़ी

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक

-:निर्णय:-

वादीगण की ओर से स्वयं की एवं प्रतिवादी सं. की ओर से तहसीलदार बुहाना की उपस्थिती में आज तारीख 12/11/21 को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" वाद वादीगण स्वीकार किया जानर वाडे शास्र निम्बाल के स्वसदा नम्बर 221/34, 222/34, 223/34 के वर्तमान नम्बरा लददा में गप्पीन के ल्याग पर न्यायालय के डिग्री व डिडी दिनांक 16.06.2015 के प्रदर्श-0 के अनुसार किये जाते के वाडेय डिग्री जाते है। प्रदर्श-0 डिग्री व डिडी का अन्तिम भाग रहेगा। नम्बरा प्रदर्श-0 के भद्रुणार शुद्ध डिग्री जाते के वाडेय डिग्री जाते है। (लालाभाड़ी बुहाना) उन्नानुत्तर शगप्य रेकार्ड के नम्बरा लददा में गप्पीन करे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12-11-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प लालाभाड़ी के मजमे आम में सुनाया गया।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला-झुन्झुनू (राज.)